(Authoritative English Text of this Department's notification No.GAD-D-7 (G)1-12/81-II, dated the 30th August,2011 as required under Clause(3) of article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
General Administration Department
(Section-D)

No.GAD-D-7(G)1-12/81-II, Dated Shimla-2,the 30th August,2011.

N O T I F I C A T I O N

In exercise of the powers conferred under rule 45 of the Fundamental Rules, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) Rules,1994, notified vide this Department's notification No.GAD-7(G)1-12/81, dated the 1st June,1994 and published in Rajpatra, Himachal Pradesh(Extra Ordinary) dated 18th July,1994, namely:-

Short title and Commencement.

1. **(1)** These rules may be called the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) Amendment Rules,2011.

(2) These rules shall come into force with immediate effect.

Amendment of rule 2.

2. **In rule 2 of the Himachal Pradesh Allotment of Government Residences (General Pool) Rules, 1994 (hereinafter referred to as the 'said rules'),--**

(a) **for sub-rule(c) the following shall be substituted, namely:-**

"(c)'date of priority' of an officer/official in relation to type-IV and above residences shall be the date from which he has been continuously drawing the Grade Pay or Basic Pay, whichever is applicable, to a particular type or a higher type in a post under the State Government or on foreign service/deputation:

Provided that the date of priority in respect of type-I to type-III residences shall be the date of joining in the service under State Government. If the date of joining is the same then the priority shall be determined as under:

(i) the officer/official having higher grade pay shall be senior; and

(ii) if the grade pay is the same, the officer/official retiring earlier shall be accorded higher priority:

Provided further that the inter-se-seniority for

....2/-

type-IV and above residences shall be considered on the basis of following factors, namely:-

(i) the Grade pay of the officer;

(ii) the priority date of an applicant, within the same Grade Pay, shall be the date from which the applicant is continuously drawing his existing grade pay;

(iii) Where the priority date of two or more officers is the same, the inter-se-seniority of the officers shall be determined on the basis of the basic pay i.e. the officer who has a higher pay shall be senior in the waiting list:

Provided that where the priority date and the basic pay of two or more officers are the same, the earlier date of joining in the service of the State Government shall be next determining criteria of inter-se-seniority:

Provided further that where the priority date, basic pay and date of joining in the service of the State Government of two or more officers are the same, the officers retiring earlier may be accorded higher priority over the officers retiring later:

Provided further that the Officers entitled for type-V and above residences shall also be eligible to apply for accommodation below their entitlements subject to the condition that such accommodation shall not be below type-IV:

Provided further that no junior batch officer of the same service shall be given priority over the senior batch officer of the same service:

Provided further that for the purpose of counting of broken periods of service for priority date for

…..3/-

allotment of residential accommodation from the general pool, the past service shall be counted if they have been given any benefit of the past service for any of the purposes of confirmation, quasi-permanency or pension. They shall, however, not be allowed to count their past service in case they are given any terminal benefits (like civil or military pension/gratuity) other than leave for their past service. If any officer had more than one break in his service, the above benefit will be admissible only in respect of continuous service rendered prior to the last break";

(b) **for clause(f), the following shall be substituted, namely:-**

"(f) Permanent, quasi-permanent and temporary Government servants of Himachal Pradesh Government offices whose services are likely to be made regular, are eligible for the allotment of Government residential accommodation from the general pool:

Provided that the Government servants of those category or class for whom departmental accommodation exist at the station of their postings shall not be eligible for allotment on seniority from the general pool at that station".

(c) **clause(g) shall be deleted.**

Substitution of rule 5.

3. **For rule 5 of the said rules, the following shall be substituted; namely:-**

"5. Classification of Residences.-

"Save as otherwise provided by these rules, the officers/officials shall be eligible for allotment of different types of residences on the basis of Grade Pay or Basic Pay whichever is applicable, shown in the table below:-

TABLE-I

Type of residence	Category of officer/official or monthly emoluments drawn by the officer/official (Grade Pay only)
I	Rs.1300/- to Rs.1650/-
II	Rs.1900/- to Rs.3600/-
III	Rs.3800/- to Rs.5000/-
IV	Rs.5400/- to Rs.8400/-

V	Rs.8600/- to Rs.9000/-
VI	Rs.10,000/- and above

Explanation:- In the case of officer who is under suspension, the emoluments (Grade Pay only) drawn by him on the first day of the allotment year in which he is placed under suspension or if he is placed under suspension on the first day of allotment year, the grade pay drawn by him immediately before that date shall be taken as emoluments. Allotment of residential accommodation to the officers/ officials under suspension shall be made under rule-7 as if the suspension has not taken place.

TABLE-II

Type of residence	Category of officer/official or monthly emoluments drawn by the officer/official(Basic Pay only)
VII	Rs.67,000/- to Rs.79,999/-
VIII	Rs.80,000/- and above".

Amendment of rule 7.

4. **In rule 7 of the said rules, for sub-rule(1) the following shall be substituted, namely:-**

"(1) Save as otherwise provided in these rules, a residence, falling vacant, may be allotted by the Secretary(GAD)to the Govt. of Himachal Pradesh to an applicant desiring a change of accommodation in that type in genuine cases under the provisions of rule 13 or to an applicant without accommodation in that type of residence having the earliest date of priority for that type of residence, subject to the following conditions, namely:-

(i) the Secretary shall not allot a residence of a type higher than to what the applicant is eligible under rule 5;

(ii) the Secretary shall not compel any applicant to accept a residence of a lower type than to what he is eligible under rule 5; and

(iii) the Secretary, on request from an applicant for allotment of a lower category residence may allot to him a residence of one type below for which the applicant is eligible under rule 5 on the basis of his priority date for the same".

Substitution of rule 8.

5. **for rule 8 of the said rules, the following shall be be substituted, namely:-**

"(8) Adhoc allotment on out of turn basis.-Notwithstanding the provisions of rule 7, adhoc allotment on out of turn basis may be made on the merits of each case by the House Allotment Committee to an officer/official on the following grounds:-

(1) On the following type of illness:-

(i) Physically handicapped Government employees in the following cases:

(a) The blind i.e. those who suffer from either of following conditions:

(i) total absence of sight;

(ii) Visual Aquity not exceeding 6/60 or 20/200(snell) in the better eye with correcting lenses; and

(iii) impression of the field of the vision subtending an angle of 20 degrees or worse.

(b)The Deaf- Those in whom the sense of hearing non functional for ordinary purposes of life. They do not hear, understand sound at all even with amplified speech. The cases include in that category will be those having hearing loss more than 90 decibles in the better ear(profound impairment) or total loss of hearing in both ears.

(c) (i) the orthopaedically handicapped, that is, those who as a result of their orthopaedic deformity find it very difficult to move freely; or

(ii) heart ailment for self only (heart ailments having symptoms of Grade III and IV which includes serious disabilities like Angina Grade-III and IV or congested cardial failure Grade III and IV or Malignant Hypertension with symptoms of Grade III and IV); or

(iii) Tuberculosis (Pulmonary tuberculosis in active phase with risk to other) and Cancer, of self, spouse and dependent children.

(2) In the event of death or retirement of a Government servant, to the wife/husband, provided that the retired or the deceased Government servant was in occupation of Government accommodation at the time of retirement or death, as the case may be. Such allotment shall not be made in a category higher than a category to which the spouse of the deceased or retired Government servant is entitled:

Provided that such wife/husband was serving the Himachal Pradesh Government at the time of the retirement or death of the Govt. servant and residing with him/her and was not claiming HRA for the last 3 years or since the date of appointment/ transfer in the station whichever is relevant:

Provided further that in case of death, the spouse may be allotted accommodation if he/ she is appointed to Govt. service within the permissible period of one year from the date of death of the allottee:

Provided further that the spouse of the retired/deceased allottee shall clear all the outstanding dues in respect of premises occupied by the retiree or deceased:

Provided further that the application in prescribed proforma for allotment of accommodation on out of turn basis shall be submitted alongwith the supporting documents and such application shall be valid for that allotment year only:

Provided further that for the adhoc allotment to the spouse in the event of death, retirement or transfer of Government servant, an affidavit may be obtained in non-judicial paper to the effect that he/she does not own a house at or near the station of his/her posting.

(3) In the event of transfer, deputation on foreign services sponsored by the Government and study leave of more than

six months of an allottee, to the spouse of such employee according to his/her entitlement in case the spouse is in Government service and posted at the same station.

(4) In the event of officer occupying an earmarked house and is transferred to another post at the same station or to another station. Those vacating earmarked accommodation related to law and orders administration shall get priority over others.

(5) An officer/official who after completing of their full tenure in the Districts of Lahaul and Spiti, Kinnaur and Pangi Tehsil of Chamba district are transferred to the station.

(6) Personal staff i.e. one out of the Personal Assistant/Private Secretaries etc. of the ministers.

(7) Where exigencies of services so warrant.

(8) Notwithstanding anything contained in sub rules(1) to (7), an officer/official who owns a house either in his own name or in the name of any member of his family at or near the station of his/her posting, shall not be eligible for adhoc allotment on out of turn basis.

(9)(i) Regular correspondents of daily newspapers published at National/Regional/State level and those of News Agencies or Electronic News channels broadcasted/telecasted at national level and who have State Level Accreditation accorded by the Government of Himachal Pradesh, shall be eligible for allotment of government accommodation at Shimla as per entitlement but not above type-IV house, taking into consideration the circulation/viewership and on the recommendations of Director, Information and Public Relations, H.P. Government in this regard provided that such correspondent does not own a house at Shimla in his own name or in the name of any member of his family:

Provided tha t in case a correspondent who has already been

…8/-

allotted Government residential accommodation acquires a house of his own at the place shall have to surrender the allotted accommodation immediately and in case he or any member of his family acquires or inherits or constructs any house or part of the house, he shall have to surrender the allotted accommodation immediately thereafter and an affidavit to this effect shall be obtained at the time of allotment from such correspondents:

Provided further that an allottee of accommodation under sub-clause(i) shall pay the license fee as per provisions of these rules and shall also pay the house rent allowance paid to him/her by the Newspaper or News Agency or Electronic News Agency/News Channel in which he/she is employed. No exemption in this regard shall be permissible;

(9)(ii) Priority for allotment shall be from the date of receipt of application for the allotment of accommodation;

(9)(iii) Only one residence shall be allotted to one News Paper/News Agency/News Channel:

Provided that adhoc allotment on out of turn basis under these rules shall not exceed 50% of the houses available in each category during the given allotment year. Type-IV and above houses will be bracketed together for determining the

percentage and allotment under sub-rule(2),(3) and (9) of this rule shall not form part of the percentage of allotments made under this rule:

Provided further that there shall be a separate pool for Press Correspondents having 20 residences upto Type-IV only:

Provided further that allotment of the government accommodation shall be valid only for the period during which the allottee continuously works in the newspaper/ news agency/news channel for which he has been allotted the accommodation”.

....9/-

Amendment of rule 10.

6. **In rule 10 of the said rules,-**

(a) **for fifth proviso to explanation 4 under sub-rure(2), the following shall be substituted, namely:-**

"Provided further that if any allottee is transferred or retires in the mid-academic session and his/her children are studying in School/College, as the case may be, at the place of present posting, the allottee may be allowed by the Secretary on the basis of merits of each case to retain the accommodation till that current academic year/semester is completed subject to production of certificate from the concerned institution to this effect. License fee chargeable in such case shall be four times of the pooled standard license fee for the period beyond the concessional period permitted under the rules in cases of retirement or transfer, as the case may be".

(b) **for sub-rule(4), the following shall be substituted, namely:-**

"(4)The officer/official who are provided earmarked accommodation/rent free accommodation, the tenure post appointees and the Press Correspondents shall not be eligible for concession allowed under sub- rule(2) and such allottees shall vacate the accommodation allotted to him/her within a period of 30 days after transfer or withdrawal of accreditation".

(c) **after sub-rule(4), the following new sub-rule(5) shall be added, namely:-**

"(5)The allottees of the Transit Pool Accommodation or servant quarter or garage, as the case may be, shall be governed by the similar provisions provided in this rule for retaining the same upto a period of six months beyond permissible period whereafter the damages as provided under rule-18-A shall be charged".

Amendment of rule 13.

7. **In rule 13 of the said rules, for sub rule(2), the following shall be substituted, namely:-**

"(2)Change of residence shall be allowed on the basis of receipt of applications in the office of Director of Estates/Estate Officers and on the basis of merits/ genuineness of each case:

Provided that if an officer/ official submits a fresh application for change of residence, his previous application already registered in the Directorate of Estates/Estate Officer, shall stand cancelled and his seniority shall be counted from the date of receipt of his fresh application".

Substitution of rule 16.

8. **For rule 16 of the said rules, the following shall be substituted, namely:-**

"(16) Transfer to non-family station.-

If an officer/official is transferred to Pangi, Lahaul & Spiti,Dodra Kwar and Hangrang Sub-Tehsil of Pooh Sub Division in Kinnaur Distt and the residence allotted to him under these rules is required by the family for bonafide use, he may be allowed on merit of each case to retain the residence on payment of four times of licence fee".

Amendment of rule 19 .

9. In rule-19 of the said rules, clause(b) of sub- rule(5) shall be deleted.

By Order

Secretary(GAD) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst.No.As above, Dated Shimla-2,the 30th August,2011.

Copy forwarded to:-

1. All Secretaries/Special Secretaries/Joint Secretaries/Deputy Secretaries/ Under Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. The Principal Resident Commissioner, HP at New Delhi,27-Sikandra Road,New Delhi-110001.
3. The Registrar General, High Court of Himachal Pradesh,Shimla-2.
4. All Heads of Departments in Himachal Pradesh.
5. All District & Session Judges in Himachal Pradesh.
6. All Chairmen/Managing Directors of Boards/Corporations in H.P.
7. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
8. The Principal, Indira Gandhi Medical College,Shimla-171001.
9. The Registrar,H.P.University,Shimla-5/Horticulture University,Nauni,Distt. Solan/CSKKVV University,Palampur,Distt.Kangra.
10. The Principal Secretary(Finance) to the Govt. of Himachal Pradesh.
11. The Director of Estates, H.P.,Shimla-171002.
12. All the Estates Officers(ACs to DCs) in Himachal Pradesh.
13. All Treasury Officers/Sub-Treasury Officers/Assistant Treasury Officers in Himachal Pradesh.
14. The Accountant General(Audit),H.P.,Shimla-3.
15. The Sr.Deputy AG(A&E),H.P.,Shimla-3.
16. The Controller(P&S),H.P.,Shimla-5. He is requested kindly to arrange to publish the above notification in the Rajpatra(Extra-Ordinary) at an early date.
17. The Deputy Secretary(Law) to the Govt. of H.P.
18. The ALR-cum-Under Secretary(Law) to the Govt. of Himachal Pradesh.
19. The Deputy Secretary(Finance) to the Govt. of Himachal Pradesh w.r.t. his Diary No.51892875, dated the 5th August,2011.

Under Secretary(GAD) to the
Govt. of Himachal Pradesh.

…..

हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(डी अनुभाग)

संख्याः जी0ए0डी0–डी0–7(जी) 1–12/81–II तारीख शिमला–02 30 अगस्त,2011

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, मूल नियमों (फण्डामेन्टल रूल्ज) के नियम 45 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः जी0ए0डी0– डी0–7 (जी) 1–12/81, तारीख 1 जून, 1994 द्वारा अधिसूचित और तारीख 18 जुलाई, 1994 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम,1994 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं; अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन(सामान्य पूल) नियम, 2011 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

नियम 2 का संशोधन:- 2. हिमाचल प्रदेश सरकारी आवास आबंटन (सामान्य पूल) नियम,1994 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 2 में,–

(क) उप नियम (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(ग)"पूर्विकता की तारीख" वर्ग (टाइप)4 और उससे ऊपर के आवास के लिए पात्र अधिकारी/पदधारी सम्बन्धी 'पूर्विकता की तारीख' ऐसी तारीख होगी जब से वह राज्य सरकार या अन्यत्र स्तर) सेवा/प्रतिनियुक्ति पर पद में विषेष वर्ग या उच्चतर वर्ग, से ग्रेड पे या मूल वेतन, जो भी लागू हो, का निरन्तर आहरण कर रहा है:

परन्तु यह कि वर्ग (टाइप)I से वर्ग III आवास के लिए पूर्विकता की तारीख, राज्य सरकार के अधीन सेवा में कार्यग्रहण की तारीख एक ही होगी । यदि कार्यग्रहण की तारीख एक ही हो तब पूर्ववर्तिता निम्न प्रकार से अवधारित की जाएगी:

(i) अधिकारी/पदधारी जिसका ग्रेड पे उच्चतर है, वह वरिष्ठ होगा; और

(ii) यदि ग्रेड पे एक समान हो तो पहले सेवानिवृत होने वाले अधिकारी/पदधारी को उच्चतर पूर्विकता दी जाएगी:

परन्तु यह और कि वर्ग–4 और उससे ऊपर के आवास हेतु पारस्परिक वरीयता पर निम्नलिखित कारकों के आधार पर विचार किया जाएगा, अर्थात्:–

(i) अधिकारी का ग्रेड पे;

(ii) उसी ग्रेड पे के भीतर, किसी आवेदक की पूर्वोक्ता तारीख, वही होगी, जिस तारीख से आवेदक अपनी विद्यमान ग्रेड पे का निरन्तर आहरण कर रहा है;

(iii) जहॉं दो या दो से अधिक अधिकारियों की पूर्वोवत्ता (वरीयता) तारीख समान हो, तो अधिकारियों की पारस्परिक वरीयता उनके मूल वेतन के आधार पर अवधारित की जाएगी अर्थात् उच्चतर वेतन वाला अधिकारी प्रतीक्षा सूची में वरिष्ठ माना जाएगा:

परन्तु जब दो या दो से अधिक अधिकारियों की पूर्वोक्ता तारीख और मूल वेतन समान हो, वहॉं पारस्परिक वरियता को अवधारित करने का अगला मानदण्ड, राज्य सरकार की सेवा में कार्य ग्रहण करने की पूर्वतम तारीख और मूल वेतन होगी:

परन्तु यह और कि जहॉं दो अथवा दो से अधिक अधिकारियों की पूर्वोक्ता तारीख,मूल वेतन और राज्य सरकार की सेवा में कार्यग्रहण करने की तारीख एक समान हो, तो पहले सेवानिवृत हो रहे अधिकारी को बाद में सेवानिवृत हो रहे अधिकारी से उच्चतर पूर्वोक्ता (प्राथमिकता) दी जा सकेगी:

परन्तु यह और कि वर्ग–V तथा उससे उपर के आवास हेतु पात्र अधिकारी पात्रता से नीचे आवास हेतु इस शर्त के अध्यधीन आवेदन करने के लिए भी पात्र होंगे, कि ऐसा आवास वर्ग–IV से नीचे का न हो:

परन्तु यह और कि उसी सेवा में अधिकारी के बैच के किसी कनिष्ठ अधिकारी को उसके बैच कि वरिष्ठ अधिकारी से प्राथमिकता नहीं दी जाएगी:

परन्तु सामान्य पूल से आवास के आबंटन के लिए पूर्वोकता की तारीख हेतु सेवा में अन्तराय(विघ्न) की अवधियों की गणना करने के प्रयोजन के लिए पूर्व सेवा गणना में ली जाएगी यदि उनको पूर्व सेवा के कारण स्थायीकरण, अर्द्ध. स्थायीक्ता या

....3/-

पेंशन के किन्हीं प्रयोजनों के लिए कोई प्रसुविधा दी गई हो । तथापि, उनको, उनकी पूर्व सेवा की गणना करने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, यदि, उनको, उनकी पूर्व सेवा के लिए छुट्‌टी से भिन्न कोई सेवान्त प्रसुविधाऍं (जैसे असैनिक या सैनिक पेंषन/उपदान) दी जाती है । यदि किसी अधिकारी का एक से अधिक सेवा–अन्तराय(विघ्न) हो तो उपरोक्त प्रसुविधा केवल अन्तिम अन्तराय(विघ्न)से पूर्व की गई निरन्तर सेवा की बाबत अनुज्ञेय होगी।

(ख) खण्ड(च) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा,अर्थात्:–

"(1)हिमाचल प्रदेष सरकार के कार्यालयों के ऐसे स्थायी,अर्ध.स्थायी और अस्थायी सरकारी कर्मचारी, जिनकी सेवाओं के नियमित होने की सम्भावना हैं, सामान्य पूल से सरकारी निवास स्थान के आबंटन के पात्र होंगें:

परन्तु उस वर्ग एवं श्रेणी के ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके लिए उनकी तैनाती के स्थान पर विभागीय आवास विद्यमान है, उसी स्थान पर वे सामान्य पूल से वरिष्ठता के आधार पर आबंटन के पात्र नहीं होगें ।"

(ग) खण्ड(छ) का लोप किया जाएगा ।

नियम 5 का प्रतिस्थापन:-

3. उक्त नियमों के नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"5.आवासों का वर्गीकरण---"इन नियमों द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाए, अधिकारी/कर्मचारी, निम्न सारणी में दर्शाए गए, ग्रेड पे (वेतन) अथवा मूल वेतन,जो भी लागू हो,के आधार पर विभिन्न वर्ग के आवासों हेतु पात्र होंगे:–

सारणी–I

आवास का वर्ग	अधिकारी/कर्मचारी का प्रवर्ग या अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आहरित मासिक परिलब्धियां (केवल ग्रेड पे)
I	रूपये 1300/– से रूपये 1650/–
II	रूपये 1900/– से रूपये 3600/–
III	रूपये 3800/– से रूपये 5000/–
IV	रूपये 5400/– से रूपये 8400/–
V	रूपये 8600/– से रूप्ये 9000/–
VI	रूपये 10,000/– और इससे ऊपर

स्पष्टीकरणः– ऐसे अधिकारी की दशा में, जो निलंबित है, उसके द्वारा, आबंटन वर्ष, जिसमें उसे निलंबित किया गया है, के प्रथम दिन पर, आहृत उपलब्धियां (ग्रेड पे) या यदि उसे आबंटन वर्ष के प्रथम दिन में निलंबित किया जाता है, तो उसके द्वारा उस तारीख से ठीक पूर्व आहृत ग्रेड पे उपलब्धियों के रूप में ली जाएगी । निलंबित अधिकारियों/कर्मचारियों को निवास स्थान का आबंटन नियम 7 के अधीन किया जाएगा, मानो निलंबन हुआ ही न हो ।

सारणी–II

आवास का वर्ग	अधिकारी/पदाधिकारी का प्रवर्ग या अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आहरित मासिक उपलब्धियां (केवल मूल वेतन)
VII	रूपये 67,000/– से रूपये 79,000/–
VIII	रूपये 80,000/– और इससे ऊपर ।"

नियम 7 का संशोधन:-

4. उक्त नियमों के नियम 7 में उप नियम(1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(1) इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए खाली आवास सचिव(सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियम 13 के उपबंधो के अधीन ऐसे आवेदक को आबंटित किया जा सकेगा, जो यथार्थ दशाओं में उसी वर्ग में परिवर्तन का इच्छुक हो या निम्नलिखित शर्तों के अध्ययधीन ऐसे आवेदक को आबंटित किया जाएगा जिसके पास उस वर्ग का आवास न हो और जिसको वर्ग के आवास के लिए पूर्वाक्ता की पूर्वतम तारीख हो, अर्थात्:––

(i) सचिव ऐसे वर्ग के आवास का आबंटन नहीं करेगा, जो नियम 5 के अधीन आवेदक की पात्रता के वर्ग के आवास से बड़ा हो;

(ii) सचिव किसी आवेदक को ऐसा वर्ग स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो नियम 5 के अधीन उसकी पात्रता के वर्ग से छोटा हो;

(iii) सचिव निम्न वर्ग के आवास के आबंटन के लिए आवेदक से अनुरोध प्राप्त होने पर उसे उसकी पात्रता से एक वर्ग निम्न का आवास आबंटित करेगा, जिसके लिए आवेदक पूर्वोक्ता की तारीख के आधार पर नियम 5 के अधीन पात्र हो ।"

नियम 8 का प्रतिस्थापन:-

5. उक्त नियमों के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

“8. बिना बारी से तदर्थ आबंटन.–– नियम 7 में किसी बात के होते हुए भी, आवास आबंटन समिति द्वारा किसी अधिकारी / कर्मचारी को प्रत्येक मामले के गुणागुण के आधार पर बिना बारी से निम्नलिखित आधार पर तदर्थ आबंटन किया जा सकेगा:–

(1) निम्नलिखित प्रकार की अस्वस्थता / बीमारी

(i) निम्नलिखित प्रकार से शारीरिक रूप से अपंग (शारीरिक रूप से विकलांग)सरकारी कर्मचारीः–

(क) दृष्टिहीन अर्थात् जो निम्नलिखित किसी से पीड़ित हैः–

(i) पूर्ण दृष्टिहीनता;

(ii) संषोधक लैंस लगाकर अच्छी आंख में दृष्टि की तीक्षणता 6 / 60 या 20 / 200 (तीक्षणता) से अधिक हो; और

(iii) दृष्टि परास 20 डिग्री के कोण को कक्षान्तरित कर रहा हो या अधिक बुरी हालत में है ।

(ख) बधिर– वे व्यक्ति जिनको जीवन में सुनने के सामान्य प्रयोजन के लिए इन्द्रिय कोई कार्य नहीं करती हो। वे आवाज को बिल्कुल सुन नहीं सकते,समझ नहीं सकते चाहे ऊंची आवाज में ही क्यों न बोला जाए। इन श्रेणियों में सम्मिलित किए गए वे मामले भी होंगे, जिनके अधिक अच्छे कान में 90 डेसीबल से अधिक श्रवण शक्ति की हानि हो गई हो यां दोनो कानों से कुछ भी न सुनाई देता हो ।

(ग) (i) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जिनके लिए टपनी विकलांग विरूपता के परिणामस्वरूप स्वतन्त्र रूप से चलना फिरना बहुत कठिन हो गया हो ; या

(ii) हृदय रोगी (ग्रेड–3 और 4 लक्षणों वाले हृदय रोग, जिनके ग्रेड–3 और 4 का एन्जाइना या ग्रेड–3 और 4 की संकुलित हृदय गति रूकना या ग्रेड–3 और 4 के लक्षणों सहित तीव्र अतिरिक्त दाब जैसी गम्भीर निशक्ताएं शामिल हैं; या

(iii) क्षयरोगी (फुसफुस तपेदिक सक्रिय अवस्था में जिसमें अन्य लोगों के लिए खतरा हो) और कैंसर से पीड़ित कर्मचारी तथा उसकी पत्नी / पति और उसके आश्रित बच्चे ।

(2) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या उसके सेवा निवृत होने पर, उसकी पत्नी/पति को, यदि सेवा निवृत या मृतक कर्मचारी यथास्थिति,सेवा निवृत्रि/मृत्य के समय सरकारी आवास अधिभोग में था । ऐसा आबंटन मृतक या सेवा निवृत कर्मचारी की पत्नी/पति को उसकी पात्रता से उच्चतर वर्ग के लिए नहीं किया जायेगा:

परन्तु सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय ऐसी पत्नी/पति हिमाचल प्रदेश सरकार में सेवारत थी/था और उसके साथ रह रहा था/रह रही थी तथा पिछले तीन वर्षों से या उस स्थान पर नियुक्ति/ स्थानान्तरण की तारीख से, जो भी सुसंगत हो, आवास किराया भत्ता नहीं ले रहा था/ले रही थी:

परन्तु यह और कि मृत्यु की दशा में, पति/पत्नी को आवास आबंटित किया जा सकेगा, यदि वह आबंटिती की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की अनुज्ञेय अवधि के भीतर सरकारी सेवा में नियुक्त हो जाता है/हो जाती है:

परन्तु यह और कि सेवानिवृत्त/मृतक आबंटिती का पति/पत्नी सेवानिवृत्त या मृतक द्वारा अधिभोग में रखे परिसर की बाबत समस्त बकाया देयों को चुकता करेगा:

परन्तु यह और भी कि आवास के बिना बारी आबंटन हेतु आवेदन, विहित प्रपत्र में समर्थक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसा आवेदन केवल उस आबंटन वर्ष के लिए ही विधिमान्य होगा:

परन्तु यह और कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु, सेवानिवृति या स्थानान्तरण होने पर, यदि उसकी पति/पत्नी को तदर्थ आवास आबंटन किया जाता है तो उसे इस स्थिति में इस आशय का शपथपत्र न्यायिकेतर (नॉन ज्यूडिषियल) कागज पर देना होगा कि उसका नियुक्ति के स्थान या इसके नजदीक अपना कोई निजी आवास नहीं है ।

(3) आबंटिती के स्थानान्तरण, सरकार द्वारा प्रायोजित विदेश सेवाओं पर प्रतिनियुक्ति और छह मास से अधिक अध्ययन अवकाश की दशा में, ऐसे कर्मचारी के पति/पत्नी को उसकी पात्रता के अनुसार, यदि पति/पत्नी सरकारी सेवा में है और उसी स्थान पर तैनात है ।

(4) अधिकारी जो चिन्हित आवास में रह रहा हो, का यदि उसी स्थान पर अन्य पद पर अथवा किसी दूसरे स्थान को स्थानान्तरण होने की दशा में । विधि और व्यवस्था पद से सम्बन्धित चिहिन्त आवास खाली करने वाले अधिकारी को दूसरों से पूर्विकता (प्राथमिकता)दी जाएगी ।

(5) कोई अधिकारी/कर्मचारी जिसका जिला लाहौल-स्पिति, किन्नौर और चम्बा जिला की तहसील पांगी में कार्यकाल पूर्ण होने पर वर्तमान स्थान पर स्थानान्तरण हुआ हो ।

(6) निजी कर्मचारीवृन्द अर्थात् मन्त्रियों के निजी सहायक/निजी सचिवों आदि में से एक को ।

(7) जहां सेवा की अत्यावश्यकताएं इस प्रकार समुचित ठहराएं (समर्थन करें)।

(8) उप-नियम (1) से (7) में किसी बात के होते हुए भी कोई भी ऐसा अधिकारी/कर्मचारी जिसके अपने नाम या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से, उसकी तैनाती के स्थान पर या उसके समीप मकान है, बिना बारी से तदर्थ आबंटन के लिए पात्र नहीं होंगा ।

(9)(i) राष्ट्रीय/क्षेत्रीय एवं राज्य स्तर पर प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित/दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले समाचार एजेन्सी या इलॉक्ट्रॉनिक समाचार चैनलों के नियमित संवाददाताए जिन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रत्यायन जारी किया हो तथा इस बाबत निदेशक,सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,हिमाचल प्रदेश सरकार की सिफारिशों पर और परिचालन/व्यूिवरशिप (समीक्षक) पर विचार करने पर, शिमला में, पात्रता के अनुसार सरकारी आवास जो वर्ग-IV से ऊपर के वर्ग का नहीं होगा, के आबंटन हेतु पात्र होगा परन्तु ऐसे संवाददाता का, शिमला में, अपने नाम पर या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर मकान न हो:

परन्तु उस दशा में जब कोई संवाददाता जिसको पहले से ही सरकारी आवास आबंटित कर दिया गया है और वह उस स्थान पर अपने नाम पर अपना मकान बना/ले (अर्जित) लेता है तो उसे तुरन्त आबंटित आवास छोड़ना होगा और यदि वह या उसके परिवार का कोई सदस्य कोई मकान या मकान का भाग अर्जित करता है या विरासत में प्राप्त करता है या बनाता है तो उसे तुरन्त आबंटित आवास छोड़ना होगा और ऐसे संवाददाता से आबंटन के समय, इस आशय का शपथ–पत्र प्राप्त किया जाएगा:

परन्तु यह और कि उप खण्ड(प) के अधीन आवास के आबंटिती को इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस संदत्त करनी होगी और समाचार पत्र या समाचार एजेन्सी या इलेक्ट्रोनिक समाचार एजेन्सी/ समाचार चैनल, जिसमें वह नियोजित है, द्वारा उसे संदत्त आवास किराया भत्ता भी संदत्त करना होगा । इस बाबत उसे कोई भी छूट अनुज्ञेय नहीं होगी;

9(ii) आबंटन के लिए पूर्विकताए आवास आबंटन हेतु आवेदन की प्राप्ति की तारीख से होगी ।

9(iii) एक समाचार पत्र/समाचार एजेन्सी/समाचार चैनल को केवल एक ही आवास आबंटित किया जाएगा:

परन्तु इन नियमों के अधीन बिना बारी से तदर्थ आबंटन प्रत्येक वर्ग में उपलब्ध आवासों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । वर्ग–4 और उससे ऊपरी वर्ग के आवास इस नियम के उप नियе (2) और (3) और (9) के अधीन प्रतिशतता निर्धारित करने हेतु इक्टठे किए जाएंगे और इस नियम के अधीन किए गए आबंटनों की प्रतिशतता का भाग नहीं होंगें:

परन्तु यह और कि प्रेस संवाददाताओं के लिए केवल वर्ग–4 तक के बीस आवासों का अलग पूल होगा:

परन्तु यह और भी कि सरकारी आवास का आबंटन केवल उसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जिसके दौरान आबंटिती कि आबंटी उस समाचार पत्र/ समाचार एजेन्सी/समाचार चैनल जिसके लिएए उसे आवास आबंटित किया गया हैए में लगातार कार्य करता है।"

नियम 10 का संशोधन:.

6. उक्त नियमों के नियम 10 में,–

(क) उप–नियम (2) के अधीन स्पष्टीकरण 4 के पांचवें परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि यदि कोई आबंटिती शैक्षिक सत्र के मध्य में स्थानान्तरित या सेवानिवृत्त हो जाता है/जाती है और उसके बच्चे, उसकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर, यथास्थितिए स्कूल/महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हों तो आबंटिती को, प्रत्येक मामले में गुणागुण आधार पर सचिव द्वारा उस चालू शैक्षिक वर्ष/समैस्टर के समाप्त होने तकए सम्बन्धित संस्थान से इस प्रभाव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीनए आवास को रखे रखना

....9/-

अनुज्ञात किया जा सकेगा। ऐसे मामले में प्रभार्य अनुज्ञप्ति फीस नियमों के अधीन अनुज्ञात छूट की अवधि से परे की अवधि के लिए पूल्ड मानक अनुज्ञप्ति फीस यथास्थिति, सेवानिवृत्ति या स्थानान्तरण की दशा मेंए चार गुणा होगी ।

(ख) उप–नियम(4) के स्थान निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(4)वे अधिकारी/पदधारी जिन्हें चिन्हित आवास/किराया मुक्त आवास की सुविधा प्रदान की गई होए सावधिक पद पर नियुक्त और प्रैस संवाददाता उप नियम (2) में अनुज्ञेय रियायत के हकदार नहीं होंगें और ऐसे आबंटिती उनको आबंटित आवास को स्थानान्तरण या प्रत्यायन वापस लेने के पश्चात् बाद 30 दिनों के भीतर खाली कर देगें ।"

(ग) उप–नियम(4) के पश्चात् बाद निम्नलिखित नया उप नियम (5) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(5) यथास्थिति, पारगमन आवास या सेवक आवास या गैराज के आबंटिती अनुज्ञेय अवधि से परे छह मास की अवधि तक रखते हेतु इस नियम में उपबंधित समरूप उपबंधों द्वारा विनियमित होंगे,जिसके पश्चात् नियम 18–क के अधीन उपबंधित नुकसानी प्रभारित की जाएगी ।"

नियम 13 का संशोधन:-

7. उक्त नियमों के नियम 13 में उप–नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(2) आवास परिवर्तन, निदेशक,सम्पदा/सम्पदा अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त आवेदनों के आधार पर तथा प्रत्येक मामले के गुणागुण/प्रामाणिकता के आधार पर अनुज्ञात किया जाएगा:

परन्तु यदि कोई अधिकारी/पदधारी आवास परिवर्तन के लिए नया आवेदन देता है, तो उस अधिकारी/पदधारी का निदश्षक,सम्पदा/सम्पदा अधिकारी के कार्यालय में पहले से रजिस्ट्रीकृत आवेदन रद्द समझा जाएगा तथा उसकी वरिष्ठता की गणना उसके नए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से की जाएगी।"

नियम 16 का प्रतिस्थापन:- 8. उक्त नियमों के नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(16)ऐसी जगह स्थानान्तरण जहां परिवार को नहीं रखा जा सकता(नॉन फेमिली स्टेषन).– यदि किसी अधिकारी/पदधारी का स्थानान्तरण पांगी, लाहौल एवं स्पिति, डोडराक्वार और किन्नौर जिले में पूह उप मण्डल की हंगरंग उप तहसील पर किया जाता है और इन नियमों के अधीन उसको आबंटित आवास उसके परिवार के सद्भाविक (वास्तविक) उपभोग के लिए अपेक्षित है, तो प्रत्येक मामले के गुणागुण के आधार पर उसे साधारण से चार गुणा अनुज्ञप्ति फीस संदत्त करने पर आवास रखने की अनुमति दी जा सकेगी ।"

नियम 19 का संशोधन:- 9. उक्त नियमों के नियम 19 के उप नियम (5) के खण्ड(ख) का लोप किया जाएगा ।

आदेश द्वारा,

सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीख शिमला–2 30 अगस्त,2011

1. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, हि0 प्र0 सरकार ।
2. प्रधान आवासीय आयुक्त,हिमाचल प्रदेश,27,सिंकदरा रोड़,नई दिल्ली.110001.
3. महा पंजीयक,हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय,शिमला–171001
4. समस्त विभागाध्यक्ष,हिमाचल प्रदेश ।
5. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश ।
6. समस्त अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक,बोर्ड एवं निगम,हिमाचल प्रदेश ।
7. समस्त उपायुक्त,हिमाचल प्रदेश ।
8. प्रधानाचार्य,इन्दिरा गांधी मेडीकल कालेज,शिमला–171001.
9. पंजीयक, हि0प्र0विश्वविद्यालय,शिमला–5/उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय,पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
10. प्रधान सचिव(वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार ।
11. निदेशक(सम्पदा) हिमाचल प्रदेश,शिमला–2.
12. समस्त सम्पदा अधिकारी(एसी टू डीसी), हिमाचल प्रदेश ।
13. समस्त कोषाधिकारी,उप कोषाधिकारी,सहायक कोषाधिकारी,हिमाचल प्रदेश ।
14. महा लेखाकार(ऑडिट),हिमाचल प्रदेश,शिमला–3.
15. वरिष्ठ उप महा लेखाकार(ए एवं ई),हिमाचल प्रदेश,शिमला–3.
16. नियन्त्रक (मुद्रण एवं लेखन), हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 को इस आषय के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना को असाधारण राजपत्र में शीघ्रातिषीघ्र प्रकाशित करने की कृपा करें ।
17. उप सचिव(विधि) हिमाचल प्रदेष सरकार ।
18. सयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव(विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
19. उप सचिव(वित्त)हिमाचल प्रदेष सरकार को उनकी दैनिकी संख्या:51892875, दिनांक 5 अगस्त,2011 के संदर्भ में ।

अवर सचिव (सामान्य प्रशासन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

....